बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

आदेश

श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरूपयोग के प्रमाणित आरोपों के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक-श्र0को0गो0-1017/2010 श्र0सं0-53/सी0 दिनांक-03.07.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के भाग-V के नियम-14 (x) में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. श्री वीरेन्द्र पासवान द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक-श्र0को0गो0-1017/2010 श्र0सं0-53/सी0 दिनांक-03.07.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0सं0-17627/2013 वीरेन्द्र पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर की गई माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-14.03.2019 को पारित न्यायादेश का ऑपरेटिव अंश निम्नरूपेण है :-

Inquiry has not been done in the proper manner and on that basis the petitioner has been dismissed from service.

Accordingly, the order of dismissal dated 03.07.2013 passed by the Commissioner-Cum-Disciplinary Authority, Department of Labour Resources, Government of Bihar, Patna, is quashed and matter is remanded back with a direction to the inquiry officer to conduct and complete the inquiry within a period of six months from the date of receipt/production of a copy of this order.

The petitioner will be entitled to the consequential relief on the basis of the outcome of the inquiry proceeding and the action taken.

It goes without saying that the petitioner will be treated to be in status as a suspended employee and will be entitled to the identical relief as are given to a suspended employee.

3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के आलोक में श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक-18.03.2019 द्वारा विभाग में योगदान स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-14.03.2019 को पारित उपर्युक्त आदेश तथा श्री वीरेन्द्र पासवान के आवेदन दिनांक-18.03.2019 के आलोक में श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक-श्र0को0गो0-1017/2010 श्र0सं0-53/सी0 दिनांक-03.07.2013 द्वारा अधिरोपित दण्ड को रद्द किया जाता है तथा श्री पासवान का योगदान स्वीकृत किया जाता है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-9 (5) के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना सेवा से बर्खास्तगी के मूल आदेश की तिथि दिनांक-03.07.2013 से निलंबित समझे जायेंगे तथा श्री पासवान अगले आदेश तक निलंबनाधीन रहेंगे।

5. निलंबनावधि में श्री वीरेन्द्र पासवान का मुख्यालय ***निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय पटना*** निर्धारित किया जाता है।

(कृ0पृ0उ0)

6. निलंबनावधि में श्री वीरेन्द्र पासवान के जीवन-निर्वाह भत्ता का भुगतान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के भाग-iv के नियम-10 के आलोक में किया जाएगा।
7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-14.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना के विरूद्ध आरोपों की जांच हेतु विभागीय कार्यवाही से संबंधित आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/-
(के0सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

__स्पीड पोस्ट__ ज्ञापांक-2/ई3-13026/2013 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- श्री वीरेन्द्र पासवान, पिता-श्री देवन पासवान, ग्राम-शेखपुरा, पो0-घोसी, थाना-घोसी, जिला-जहानाबाद, पिन कोड-804406 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(के0सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई3-13026/2013 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी (अन्वेषण), व्यूरो विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(के0सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई3-13026/2013 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ उप श्रमायुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/सामान्य भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(के0सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई3-13026/2013 श्र0सं0- 1676 पटना, दिनांक- 11-4-19

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/4/19

(के0सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव-सह-श्रमायुक्त, बिहार।